(न्)यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

(प्र)0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
(..)7/2025	23.06.2025	16-1-2026

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– अनुसूइया देवी उर्फ चाहन्या पुत्री मूल चन्द, पत्नी राजमल जाति खाती निवासी नीमोदा हाल निवास 922–महावीर नगर सेकिण्ड कोटा जिला कोटा

(वादीनी)

बनाम

1– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,बाबत नाम दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

वदीया ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1. यह कि ग्राम नीमोदा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 351 की 2–14 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 संलग्न है।

2– यह कि उक्त भूमि वादनी व अन्य सहखातेदार के नाम ग्राम नीमोदा की ख0न0 1630 की 0–64 हेक्टर, ख0न0 354 की 5–06 हेक्टर व खसरा नम्बर 357 की 0–43 हेक्टर कुल तीन किता की 6–13 हेक्टर व ग्राम ओंकारपुरा की ख0न0 74 की 0–31 हेक्टर भूमि शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादनी का शामलाती हिस्सा दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम सहवन से चाहन्या दर्ज हो गया है जब कि वादनी का नाम अनुसूइया देवी है। वादनी के जनं आधार कार्ड, व पेन कार्ड, राशन कार्ड आदि में अनुसूइया देवी दर्ज है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में चाहन्या के स्थान पर अनुसूइया देवी दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

3– यह कि वादनी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में अलग अलग होने के कारण कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, ओर न बैंक से ऋण मिल रहा है। जिस कारण वादनी ने प्रतिवादी के कर्मचारियों को नाम दुरूस्त करने को कहा तो उन्होने इन्कार कर दिया। इस कारण वादनी के लिये वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

4–यह कि वाद कारण वादनी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य रिकार्ड में अलग अलग नाम दर्ज होने के कारण दिनांक 12–5–2025 को प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम दुरूस्त नहीं करने व अदालत में कार्यवाही करनी कहने पर पैदा हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादनी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित फरमायी जावे–

1–कि ग्राम नीमोदा तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 351 की 2–14 हेक्टर भूमि व ग्राम नीमोदा की ख0न0 1630 की 0–64 हेक्टर, ख0न0 354 की 5–06 हेक्टर व खसरा नम्बर 357 की 0–43 हेक्टर कुल तीन किता की 6–13 हेक्टर व ग्राम ओंकारपुरा की ख0न0 74 की 0–31 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम चाहन्या के स्थान पर अनुसूइया देवी दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2–कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावे।

वादीनी की ओर से निम्न लिखित दस्तावेज वाद पत्र के साथ संलग्न किये है:–

1. नकल जमाबन्दी सवंत् 2075–2078 ग्राम नीमोदा खाता सं0नया 334
2. नकल जमाबन्दी सवंत् 2075–2078 ग्राम नीमोदा खाता सं0नया 336
3. नकल जमाबन्दी सवंत् 2073–2076 ग्राम औंकारपुरा खाता सं0नया 86
4. सरपंच ग्राम पंचायत नीमोदा हरीजी द्वारा जारी तस्दीक प्रमाण पत्र
5. नकल छायाप्रति आधार कार्ड
6. नकल छाया प्रति स्थानान्तरण प्रमाण पत्र
7. नकल छायाप्रति पेन कार्ड
8. नकल छायाप्रति बैंक पासबुक

वाद पत्र दर्ज रज़िस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीदार दीगोद की ओर से जवाब सरकार प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात प्रकरण को साक्ष्य में नियत किया गया। साक्ष्य में PW1 मे मुकेश कुमार आत्मज सोहनलाल जाति खाती निवासी निमोदा तहसील दीगोद का तथा PW2 में नन्द बिहारी आत्मज सोहनलाल जाति खाती निवासी नीमोदा तहसील दीगोद का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। बहस वादी के अधिवक्ता की सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया।

प्रकरण मे बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध जवाब सरकार, दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हम इस निष्कार्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः वादनी का नाम चाहन्या के स्थान पर चाहन्या उर्फ अनुसूईया देवी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में ग्राम नीमोदा तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 351 की 2–14 हेक्टर भूमि व ग्राम नीमोदा की ख0न0 1630 की 0–64 हेक्टर, ख0न0 354 की 5–06 हेक्टर व खसरा नम्बर 357 की 0–43 हेक्टर कुल तीन किता की 6–13 हेक्टर व ग्राम ओंकारपुरा की ख0न0 74 की 0–31 हेक्टर भूमि में वादनी का नाम चाहन्या के स्थान पर चाहन्या उर्फ अनुसूईया देवी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/1/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– अनुसूइया देवी उर्फ चाहन्या पुत्री मूल चन्द, पत्नी राजमल जाति खाती निवासी नीमोदा हाल निवास 922–महावीर नगर सेकिण्ड कोटा जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 **(प्रतिवादी)**

वादी की ओर से – श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,बाबत नाम दुरूस्ती

मिसल नं 77 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादीगण व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में ग्राम नीमोदा तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 351 की 2–14 हेक्टर भूमि व ग्राम नीमोदा की ख0न0 1630 की 0–64 हेक्टर, ख0न0 354 की 5–06 हेक्टर व खसरा नम्बर 357 की 0–43 हेक्टर कुल तीन किता की 6–13 हेक्टर व ग्राम ओंकारपुरा की ख0न0 74 की 0–31 हेक्टर भूमि में वादनी का नाम चाहन्या के स्थान पर चाहन्या उर्फ अनुसूईया देवी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 16/1/26 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
मुद्ई			स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	महन्ताना वकील	0	0
महन्ताना वकील	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	मुत0	0	0
मुत0	0	0	मिलान	0	0
मिलान	0	0			

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद